आवश्यक / बैठक / समयबद्ध

संख्या: 37 / 2018 / 3172 / 12-2-2018-एस.85 / 2008

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

विषय: रबी अभियान 2018-19 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3101 / 12-2-2018-एस.85 / 2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी अभियान 2018-19 के लिए अधिक फसलोत्पादन के लिए रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नलिखित मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा:-

क्र0सं0	मण्डल का नाम	स्थान	आयोजन की तिथि	दिन
1	फैजाबाद एवं देवीपाटन	फैजाबाद	08 अक्टूबर, 2018	सोमवार
2	झांसी एवं चित्रकूट	झांसी	10 अक्टूबर, 2018	बुधवार
3	कानपुर एवं इलाहाबाद	कानपुर	12 अक्टूबर, 2018	शुक्रवार
4	मेरठ एवं सहारनपुर	मेरठ	13 अक्टूबर, 2018	शनिवार
5	आगरा एवं अलीगढ	आगरा	15 अक्टूबर, 2018	सोमवार
6	बरेली एवं मुरादाबाद	बरेली	22 अक्टूबर, 2018	सोमवार
7	गोरखपुर, आजमगढ एवं बस्ती	गोरखपुर	31 अक्टूबर, 2018	बुधवार
8	मिर्जापुर एवं वाराणसी	वाराणसी	03 नवम्बर, 2018	शनिवार

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित उक्त रबी उत्पादकता गोष्ठी में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के संबंधित अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे।

4. उक्त गोष्ठी सामान्यत: कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में होंगी। जहाँ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण नहीं जा पायेंगे, वहाँ पर बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त के द्वारा की जायेगी।

5. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के शासन स्तर के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

6. रबी गोष्ठी की तिथियों में परिवर्तन भी मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के मण्डलों में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत ही किया जा सकेगा अन्यथा यथासमय-यथास्थान की जायेगी।

7. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 37/2018/3172(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मेरठ/डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लख्नऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9.प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10.प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11.महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12.सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियॉ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13.क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

14.विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

15.समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16.समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

18.सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19.निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

20.निजी सचिव, मा0 राज्य मन्त्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।